राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1324 / 2026

प्रिया मलिक –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, मुख्यालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.05.2026

आदेश की दिनांक : 18-6-26

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री श्रवण सिंह तंवर, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– पूनम दरगन, सदस्य (न्यायिक)
प्रकाश चंद्र शर्मा, सदस्य

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
सत्यमेव जयते
राजस्थान-जयपुर

प्रमाणित प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
राजस्थान–जयपुर

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल–।। (अंग्रेजी) के पद पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर में कार्यरत है और इससे पहले अपीलार्थी प्रतिनियुक्ति पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, Varli, पिंडवाडा, जिला सिरोही में पदस्थापित थी। अपीलार्थी ने उक्त संस्था में चार वर्ष से अधिक की संतोषजनक प्रतिनियुक्ति सेवा सफलतापूर्वक पूरी की और दिनांक 18.06.2020 की सरकारी नीति/आदेश के अनुसार अपने इच्छित गृह जिले अर्थात् जयपुर में पदस्थापन की पात्र हो गई। अपीलार्थी का कथन है कि कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, सिरोही द्वारा आदेश दिनांक 30.12.2025 (अनुलग्नक–1) जारी किया गया था, जिसमें अपीलार्थी को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, Varli, पिंडवाडा, जिला सिरोही से उनके इच्छित जिले जयपुर में कार्यमुक्त किया गया था। इसके बाद कार्यालय निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश दिनांक 09.01.2026 (अनुलग्नक–2) के द्वारा केजीबीवी में प्रतिनियुक्ति अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद अपीलार्थी को उसका इच्छित जिला जयपुर आवंटित किया गया। उक्त आदेशों के अनुसरण में दिनांक 08.01.2026 के कार्यालय आदेश द्वारा अपीलार्थी को औपचारिक रूप से केजीबीवी Varli पिंडवाड़ा से कार्यमुक्त करके निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर के लिए नियुक्त किया गया (अनुलग्नक-2)। तत्पश्चात अपीलार्थी द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक, बीकानेर के आदेश दिनांक 12.01.2026 (अनुलग्नक–4) द्वारा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक, जयपुर में कार्यग्रहण किया गया। अपीलार्थी का कथन है कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय). प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर ने दिनांक 19.01.2026 (अनुलग्नक–5) को नियुक्ति/स्थानांतरण आदेश जारी कर अपीलार्थी को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, शिवपुरा, ब्लॉक जमवारामगढ़, जिला जयपुर हेतु कार्यमुक्त कर दिया, जो कि एक दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है, जबकि अपीलार्थी अपनी चिकित्सा और व्यक्तिगत कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए अपने गृह जिले में ही पदस्थापन की हकदार थी। अपीलार्थी थायरॉइड संबंधी बीमारियों और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है (अनुलग्नक–6)। प्रत्यर्थी विभाग के कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 19.01.2026 से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने उक्त आदेश को चुनौती देते हुए माननीय अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 415/2026 दायर की, जिसमें माननीय अधिकरण ने आदेश दिनांक 16.02.2026 (अनुलग्नक–7) द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर विचार करने और तर्कसंगत एवं स्पष्ट आदेश पारित करके निर्णय लेने का निर्देश दिया। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 20.02.2026 (अनुलग्नक–8) द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उसने अपनी चिकित्सा स्थिति, पारिवारिक कठिनाइयों और सरकारी नीति के अंतर्गत जयपुर जिले के भीतर उपयुक्त स्थान पर उचित पदस्थापन की मांग की, परन्तु अभ्यावेदन पर निर्धारित समय में निर्णय नहीं लिया गया, इसलिए माननीय अधिकरण के आदेश का अनुपालन न करने के विरुद्ध दिनांक 23.03.2026 (अनुलग्नक–9) को प्रत्यर्थी विभाग को जरिये अधिवक्ता एक कानूनी नोटिस भी भेजा गया। न्यायिक आदेश

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण • राजस्थान-जयपुर • सत्यमेव जयते

प्रमाणित प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
राजस्थान–जयपुर

का अनुपालन न करने के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष अवमानना संख्या 75/2026 भी दायर की गई है, जो अभी लंबित है। इस बीच कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारिम्भक शिक्षा, जयपुर ने आलोच्य आदेश दिनांक 19.04.2026 (अनुलग्नक–10) द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन को अस्वीकार कर खारिज किया गया। अपीलार्थी का कथन है कि उक्त आदेश चिकित्सा दस्तावेजों, सरकारी नीति और अधिकरण द्वारा जारी निर्देशों पर उचित विचार किए बिना यांत्रिक रूप से पारित किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग का यह तर्क सही नही है कि अपीलार्थी ने स्वयं पदस्थाप्न के लिए स्कूलों के तीन विकल्प दिए थे, जबकि अपीलार्थी द्वारा किसी भी समय ऐसा कोई अनुरोध या सहमति प्रस्तुत नहीं की गई थी।

3. अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 19.04.2026 (अनुलग्नक–10) तथा आलोच्य आदेश दिनांक 19.01.2026 (अनुलग्नक–5) को अपास्त किया जाए। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जाए कि वे अपीलार्थी को जयपुर जिले के भीतर उपयुक्त पदस्थापन प्रदान करने हेतु अपीलार्थी के माम्ले पर पुनर्विचार करें और एक निर्धारित अवधि के भीतर निष्पक्ष, तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश पारित करके निर्णय ले।

4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से निवेदन किया गया कि यह है कि अपीलार्थी Multiple litigation एवं not approached the Court with clean hands की अभ्यस्त है जिसने माननीय अधिकरण के समक्ष अनावश्यक लाभ प्राप्ति एवं न्यायालय को गुमराह करने के उद्देश्य से हस्तगत अपील मे गलत तथ्यो को प्रस्तुत किया है प्रार्थीयां द्वारा पूर्व मे माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर के समक्ष अपील संख्या 415/2026 प्रस्तुत की गई और पुनः उन्ही तथ्यो के आधार पर हस्तगत अपील माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई जो कि (Res Judicata) माननीय अधिकरण द्वारा एक बार निर्णित एवं निर्धारित मामले को उन्ही तथ्यो के आधार पर दुबारा प्रस्तुत नही किया जा सकता इसलिए प्रार्थीयां की अपील काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी को इच्छित जिला जयपुर आंवटित किया गया तदनुसार अपीलार्थी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक जयपुर के कार्यालय मे दिनांक 12.01.2026 को आदेशो की प्रतीक्षा मे कार्यग्रहण कर इच्छित विद्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय शिवपूरा जमवारामगढ तथा चतरपुरा तुंगा एव चाकसू जयपुर जिले के विद्यालय में पदस्थापन हेतु प्रार्थना

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण राजस्थान-जयपुर सत्यमेव जयते

प्रमाणित प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
राजस्थान-जयपुर

पत्र प्रस्तुत किया अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को फोटो प्रति अवलोकनार्थ अनुलग्नक–आर-1 संलग्न है। प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय शिवपुरा जमवारामगढ़ में अध्यापक लेवल–II अंग्रेजी के पद पर पदस्थापन अपीलार्थी के गृह जिले जयपुर मे दिनांक 19.01.2026 को किया गया। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जाने योग्य है।

5. हम्ने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

6. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 19.04.2026 (अनुलग्नक–10) तथा आलोच्य आदेश दिनांक 19.01.2026 (अनुलग्नक–5) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, शिवपुरा जमवारामगढ, जयपुर हेतु कार्यमुक्त किया गया है एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वरली पिंडवाड़ा, सिरोही में 4 वर्ष से अधिक की प्रतिनियुक्ति सेवा सफलतापूर्वक पूर्ण की। राजकीय नीति के अनुसार, उक्त कठिन सेवा के पश्चात अपीलार्थी अपने इच्छित गृह जिले जयपुर में पदस्थापन की पात्रता रखती थी। निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर के आदेश दिनांक 09.01.2026 द्वारा उसे जयपुर जिला आवंटित किया गया। तत्पश्चात, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा, जयपुर ने आदेश दिनांक 19.01.2026 जारी कर अपीलार्थी का पदस्थापन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, शिवपुरा, जमवारामगढ़ में कर दिया। पदस्थापन के समय विभाग द्वारा जयपुर जिले में अंग्रेजी लेवल–2 के समस्त रिक्त पदों को प्रदर्शित नहीं किया गया। मात्र तीन विषम एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों के विकल्प सम्मुख रखे, जिससे अपीलार्थी को विवश होकर विकल्प चुनना पड़ा। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी गंभीर थायराइड एवं अन्य चिकित्सीय समस्याओं से ग्रसित है और उक्त आवंटित स्थान (शिवपुरा) से निकटतम समुचित चिकित्सा सुविधा लगभग 40 किमी दूर है। इसके विपरीत प्रत्यर्थी दिभाग का तर्क है कि अपीलार्थी द्वारा स्वेच्छा से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर ही उसे शिवपुरा (जमवारामगढ़) आवंटित किया गया था।

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
सत्यमेव जयते
राजस्थान–जयपुर

प्रमाणित प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
राजस्थान–जयपुर

अपीलार्थी पूर्व में भी अपील संख्या 415/2026 प्रस्तुत कर चुकी है, अतः यह अपील Res Judicata के सिद्धांत से बाधित है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन करने पर अधिकरण यह पाता है कि प्रत्यर्थी विभाग का यह तर्क कि मामला Res Judicata से बाधित है, विधिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि पूर्व की अपील (415/2026) में इस अधिकरण ने अभ्यावेदन तय करने का निर्देश दिया था। वर्तमान अपील विभाग द्वारा पारित नवीन आदेश दिनांक 19.04.2026 के विरुद्ध है, जिससे नया वाद–कारण (Cause of Action) उत्पन्न हुआ है।

8. अपीलार्थी द्वारा सिरोही जिले के केजीबीवी वरली में 04 वर्ष की आवासीय सेवाऐं संतोषजनक पूर्ण कर अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 30.12.2025 द्वारा विभागीय नीति के अनुसार उनको इच्छित गृह जिला जयपुर में पदस्थापन हेतु कार्यमुक्त किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के संबंध में पदस्थापन के समय सभी रिक्त पदों को प्रदर्शित न कर विभाग द्वारा मात्र तीन पदों को प्रदर्शित कर विकल्प सीमित करना विकल्प की स्वतंत्रता का हनन है। अपीलार्थी एक महिला शिक्षिका है जो चिकित्सीय परिस्थितियों से जूझ रही है। अधिकरण (अपील संख्या 415 / 2026) के निर्देशो के अनुक्रम में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 20.02.2026 को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपनी चिकित्सीय परिस्थितियों एवं उपलब्ध रिक्त पदों को दर्शाते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन पर विचार नहीं करते हुए आलोच्य आदेश दिनांक 19.04.2026 द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन को आख्यात्मक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
सत्यमेव जयते
राजस्थान–जयपुर

प्रमाणित प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
राजस्थान–जयपुर

9. उपर्युक्त परिस्थितियों में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.2026 एवं 19.04.2026 अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के निर्देशों के अनुक्रम में प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 20.02.2026 में उठाये गये समस्त बिन्दूओं एवं दर्शाये गये इच्छित रिक्त स्थानो पर पुनः विस्तारपूर्वक विचार कर एवं अपीलार्थी की गंभीर चिकित्सा स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सहानुभूतिपूर्वक नये सिरे से आख्यात्मक आदेश पारित करे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अभ्यावेदन पर पुनः

निस्तारण किये जाने तक अपीलार्थी को उसी स्थान पर कार्यरत रखा जावे जहां पर अपीलार्थी आदेश दिनांक 19.01.2026 पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।

10. उक्त आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(प्रकाश चंद्र शर्मा)
सदस्य

(पूनम दरगन)
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
सत्यमेव जयते
राजस्थान-जयपुर

प्रमाणित प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
राजस्थान-जयपुर

प्रतिलिपि
1. प्रार्थना-पत्र क्रमांक 2967
2. रसीद संख्या 2041426
3. प्रतिलिपि जारी करने की दिनांक 12-6-26
4. आदेश दिनांक 12-6-26
5. प्रतिलिपि शुल्क 12
6. इ. प्रतिलिपिकार